

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं0- 318./2022

आवेदक विजय प्रसाद, पिता स्व0 दाहु, महतो, साकिन-वृन्दावन, पोस्ट-केतरा, थाना-फतेहपुर जिला-गया (विहार) द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है-

थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
244	374	5254	02 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...। 8 / 08 / 2022 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी कोडरमा

09-12.2022

अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–ितलैया, थाना नं0—244, खाता सं0—374, प्लॉट सं0—5254, रकवा—02 डी० भूमि दाहु महतो पिता स्व० बान्धो महतो के नाम से पंजी—II के पृष्ठ सं0—92 भाग सं0—49 पर जमाबन्दी दर्ज है। आवेदक को उक्त भूमि केवाला सं0—9915 दिनांक 17.11.1992 द्वारा प्राप्त हैं। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2020—21 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0—01 दिनांक—25.07.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा—ितलैया, थाना नं0—244, खाता सं0—374, प्लॉट सं0—5254, रकवा—02 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा—ितलैया, थाना नं0—244, खाता सं0—374, प्लॉट सं0—5254, रक्वा—02 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरांत भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामांतरण के पूर्व अगर कोई वैध आपित होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

्री। अंचल अधिकारी कोडरमा